मध्य प्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

क्रमांक एफ–९–८–छः/८७ भोपाल, दिनांक ६–१२–१९९०

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश ।

विषय :– वक्फ सम्पत्ति व कब्रस्तानों से अतिक्रमण हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ–९–८–छः/८८ दिनांक १.१.८८ एवं समय समय पर जारी स्मरण पत्र ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र के जरिये प्रत्येक जिले में कब्रस्तान तथा अन्य वक्फ सम्पत्तियों पर किये गये अतिक्रमण हटाने के लिये निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये शासन को आपसे अपेक्षा की थी परन्तु जब बाद में देखने में आया कि हर माह जिलों से विलंब से प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं, तो प्रतिवेदन भेजने की अवधि बढ़ाकर उसे त्रैमासिक किया गया । फिर भी शासन के देखने में आया हैं कि कहीं कहीं जिलों से प्रतिवेदन समय पर नहीं आते एवं कहीं कहीं निर्धारित सभी पूर्तियां ठीक से नहीं भरी जाती । अतः विषयांकित अधूरी जनकारी से शासन के समक्ष प्रदेश की सही स्थिति सामने नहीं आ पाती हैं ।

२] विषयांकित मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है यह सिर्फ इस बात से जाहिर होता है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो १५ सूत्रीय कार्यक्रम निर्धारित किया था उसके सूत्र क्रमांक १४ के अतंर्गत वक्फ सम्पति तथा कब्रस्तानों के अवैध–अतिक्रमण हटाये जाने का मुद्दा भी शामिल किया गया था । चूंकि इस संबंध में भारत शासन को समय-समय पर अवगत कराना पड़ता है, अतः आप समझ सकते हैं कि यदि आपके जिले का प्रतिवेदन सही स्थिति में समयानुसार प्राप्त नहीं हुआ तो उक्त जानकारी भेजने में अत्यन्त कठिनाई होती है ।

३] जब जब हमें म. प्र. वक्फ बोर्ड से आपके जिले से संबंधित कब्रस्तानों/वक्फ सपत्तियों पर अतिक्रमण की विस्तृत सूची प्राप्त हुई तो उसकी प्रति भी आपको जानकारी एवं उस पर अविलम्ब कार्यवाही करने के लिये भेजी गई है । हो सकता है कि इस सूची में अवैध–अतिक्रमण का एकाध प्रकरण शामिल नहीं हो पाया हो जिसका समावेश सूची में आपके द्वारा किया जाकर एक जाई तौर पर कार्यवाही अपेक्षित समझी गई ।

४] वक्फ सम्पत्ति एवं कब्रस्तानों पर हुये अतिक्रमण की शिकायतें शासन को प्रदेश स्तर पर प्राप्त होती है जो कि नहीं होना चाहिये । यदि इन शिकायतों को आपके जिले में उचित कार्यवाही कर निराकरण कर लेते हैं तो विशेष प्रकरण को छोड़कर सामान्य स्थिति में शासन के समक्ष ऐसी शिकायते आने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता । जानकारी सुविधापूर्वक एकत्र की जाकर भेजने में आपको आसानी हो इस उद्देश्य से पुराने प्रपत्रों को निरस्त करते हुये इस पत्र के साथ सलंग्न कर एक पत्र का प्रोफार्मा भी सलंग्न है आशाकी जाती है कि अब आप इस प्रोफार्मा में जानकारी भर कर एक माह के अन्दर इस विभाग को भेजेंगे ।

५] उल्लेखनीय विषयांकित सम्पत्तियों पर अतिक्रमण होते ही यदि त्वारत कार्यवाही कर इसे नहीं हटाया जाये तो बाद में अनेक प्रकार की प्रशासकीय उलझनों के साथ साथ कानूनी विवाद भी खड़े हो जाते है । अतः सभी जिलाध्यक्षों से यह आशा की जाती है कि वे शासन के इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे और अतिक्रमणों की संख्या बढ़ने नही देंगे । जब तक किये गये अतिक्रमणों को शीघ्र नहीं हटाया जायेगा अतिक्रमण हटना संभव नहीं है । अतः नियमानुसार सख्त कार्यवाही कर शासन को नीति के अनुसार अतिक्रमण हटाकर निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन भेजा जाये । अपेक्षा की जाती है कि इस सम्बन्ध में आपसे प्रथम प्रतिवेदन दिनांक ३१.१२.९० तकप्राप्त हो जायेगा एवं शेष त्रैमासिक प्रतिवेदन दिनांक १० अप्रैल, १० जुलाई, १० अक्टुबर तथा १० जनवरी की अवधि में भेजे जायें ।

६] जैसा कि आपको पूर्व में इस बिभाग के पत्र क्र एफ–९–४/छः/८२, दिनांक २५/११/८९ के जरिये लिखा जा चुका है कि भविष्य में अतिक्रमण न हो इसलिये कब्रस्तानों पर चहार दीवारी/तार फेन्सिंग की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण समिति को सिफारिश क्र. २४ पर मंत्रिमण्डल से निर्णय लिया है जिसके अनुसार चहार दीवारी/तार फेन्सिगं आदि की कार्रवाई नगर निगमो के माध्यम से कलेक्टरों की देखरेख में की जाती है कृपया सुनिश्चित करें कि यह कार्यवाही भी शीघ्रतिशीघ्र कर ली जावे एवं शासन को तदानुसार निर्धारित समय समय में प्रतिवेदन भेजे जायें ।

हस्ताक्षर
(आर. व्ही. गुप्ता)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

पृ. क्र. एफ 9-8-छः/87
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 6-12-1990

सचिव म. प्र. वक्फ बोर्ड, मोती मस्जिद के पास भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

हस्ताक्षर
(ए. के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

प्रपत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनु. क्र.	ग्राम	तहसील	वक्फ सम्पत्ति का/कब्रस्तान का नाम जिस पर अतिक्रमण हुआ है ।	अतिक्रमित भूमि का ख. नं. व रकबा	अवैध-अतिक्रमण का स्वरुप अर्थात अतिक्रमण के बाद में मकान आदि बनाया या जिस रुप में अतिक्रमित भूमि का उपयोग हुआ है ।	अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही	अतिक्रमण हटा या नहीं	यदि नहीं तो किस कारण से नहीं हटाया जा सका	अन्य आवश्यक विवरण

सत्य प्रतिलिपि
सचिव
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

002